


20-12-23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट या
अपीलान्ट स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार कावाज
लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। कठ: अपीलान्ट
की यह अपील अदम पैरवी - अदम हाजिरी में
दूसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली
बाद तश्तीब तकमील होकर दाविल दफतर है।
निर्णय लिखाया जाकर जुले न्यायालय में
जुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.